आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला देवघर अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित। सुनवाई में उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा प्रेषित पत्रांक–644 दिनांक–10.04.2024 आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर ने आयोग को भेजे अपने प्रतिवेदन में इस आशय का उल्लेख किया है कि लाभुक को 4000रू० की राशि उनके Account में भुगतान कर दिया है। आयोग नैसर्गिक न्याय के तहत शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक अवसर दे रहा है। अगली सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। यदि शिकायतकर्ता का कोई पक्ष आया तो आयोग जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को यथोचित निदेश देगा, अन्यथा इस वाद को निष्पादित मान लिया जायगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–29.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। दिनांक–29.04.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx24	